[2008] 17 एससीआर 1500

ललिताबेन जयंतिलाल पोपट

बनाम

प्रगनाबेन जमनादास कटारिया और अन्य

(सिविल अपील सं. 7434/2008)

19 दिसंबर, 2008

[एसे. बी. सिन्हा और सिरियाक जोसेफ, जे. जे.)

साक्ष्य अधिनियम, 1872:

एस. 68- वसीयत के निष्पादन का प्रमाण-सत्यापन में से एक गवाह, जिनसे अकेले पूछताछ की गई थी, ने वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत में की गई घोषणा की पुष्टि नहीं की कि उसने दोनों गवाहों के सामने हस्ताक्षर किए थे और दोनों ने पहले हस्ताक्षर किए थे। उसे गवाह ने कहा कि वह वसीयतकर्ता के साथ अकेला था जिसने पहले ही अपना हस्ताक्षर कर दिया था- तय किया: यह स्पष्ट है कि अन्य व्यक्ति ने प्रमाणक गवाह के रूप में वसीयत पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया-इसलिए वसीयत का निष्पादन साबित नहीं हुआ है। उत्तराधिकार अधिनियम, 1925-धारा 63

प्रत्यर्थियों, द्वारा प्रस्तावित एक वसीयत दिनांकित 18.6.1995 को प्रोबेट देने के आदेश के खिलाफ तत्कोल अपील में, अपीलार्थी के लिए तर्क दिया गया था कि धारा 63 (ग) उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धाराओं के संदर्भ में दो या दो से अधिक लोगों द्वारा वसीयत के सत्यापन की आवश्यकता है। उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 को धारा 68 साक्ष्य अधिनियम, 1872 के संदर्भ में साबित नहीं किया गया था।

न्यायालय ने अपील को अनुमति देते हुए अभिनिर्धारित किया कि

1.1. धारा 63 उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधान अनिवार्य प्रकृति के है। वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है। धारा 68 साक्ष्य अधिनियम, 1872 में यह प्रावधान है कि प्रस्तावक को वसीयत के निष्पादन और सत्यापन को साबित करना होगा। प्रमाणिक गवाहों में से कम से कम एक गवाह की जांच करके वसीयत के निष्पादन और सत्यापन को साबित करे। यह प्रश्न कि उचित सत्यापन स्थापित किया गया है या नहीं, प्रत्येक मामले में तथ्य स्थिति पर निर्भर करेगा। [पैरा 9 और 16] [1506-एच; 1507-ए]

बाबू सिंह और अन्य बनाम राम सहाय @ राम सिंह **2008 (7) स्केल 743;** अपोलिन डिसूजा बनाम जॉन डिसूजा (2007) 7 एससीसी 225 और बी. वेंकटमुनी बनाम। सी. जे. अयोध्या राम सिंह & अन्य **(2006) 13 एससीसी 249, पर भरोसा किया।**

1.2. यह एक तुच्छ प्रकृति का कानून है कि वसीयत के निष्पादन का न केवल तब साबित हुआ माना जाना चाहिए जब वसीयत साबित करने के लिए वैधानिक आवश्यकताएं पूरी हो जावे, बल्कि वसीयत को आमतौर पर संदिग्ध परिस्थितियों से मुक्त भी पाया जावे। जब एसे साक्षियों को रिकोर्ड पर लाया जाता है, तो न्यायालय अनुमानित साक्षियों की भी सहायता ले सकता है। कोई वसीयत संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी है या नहीं, यह मूलतः तथ्य का प्रश्न है। मौजूदा मामले में, वसीयत पर बडी संख्या में संदिग्ध परिस्थितियां दिखाई दे रही थी। परीक्षित किये गये गवाह की साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संदिग्ध परिस्थितयों को अनुमान लगाया जाना चाहिए। यहां तक कि वसीयत के प्रमाण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं का भी पालन नहीं किया गया है। [पैरा 14] [1512-ए बी]

रमाबाई पद्माकर पाटिल (मृत) एलऔर के माध्यम से एवं अन्य बनाम रुक्मिणीबाई विष्णु वेखंडे और अन्य **(2003) 8 एससीसी 537, लागू नहीं किया गया।**

1.3. तत्कोल मामले में, विचाराधीन वसीयत (विस्तार 44) गुजराती भाषा में एक 'एम. वी.' और अंग्रेजी में एक 'आर. एस.' के हस्ताक्षर हैं। उत्तरदाताओं, ने वसीयत के निष्पादन को साबित करने के लिए केवल 'आरएस' की जांच की गई। वह राजकोट जिले में गोंडाल में राज्य के कृषि विभाग में कोर्यरत थे। वसीयत के निष्पादन की तिथि पर वह अपने

कोर्यस्थल पर था। वसीयतकर्ता जेतपुर का निवासी था। वसीयतकर्ता को जेतपुर में निष्पादित किया गया था। वसीयत को सत्यापन निश्चित रूप से जेतपुर में हुआ था। वसीयत के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त 'एमवी' को वसीयत का निष्पादक बनाया गया था। हालांकि, वसीयत ओआर. एस. की अभिरक्षा से पेश किया गया है। माना जाता है कि वसीयत दोनों गवाहों की उपस्थिति में निष्पादित की गई थी। वसीयतकर्ता द्वारा एक घोषणा की जाती है कि उसने दोनों गवाहों से पहले हस्ताक्षर किए थे और उसके सामने ही दोनों गवाहों ने अपने हस्ताक्षर किए थे। लेकिन आरएसे गवाह ऐसा नहीं कहता है। वह वसीयतकर्ता के साथ अकेला था। उनके अनुसार, वसीयतकर्ता पहले ही उसके हस्ताक्षर कर चुका था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उस समय 'एम. वी.'ने वसीयत पर साक्ष्य के रूप में अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे। फिर भी उनको नाम सीरियल नंबर 1 पर है। इसलिए, यह साबित नहीं हुआ है कि दोनों प्रमाणक गवाहों ने या तो एक-दूसरे की उपस्थिति में वसीयत को प्रमाणित किया था या वसीयतकर्ता ने दोनों गवाहों की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया था। यह तथ्य कि अन्य गवाह 'एम. वी.' की मृत्यु दिनांक 2.5.1996 को हो गई थी, जिसे नीचे दी गई अदालतों के समक्ष रिकॉर्ड में नहीं लाया गया था। इसलिए वसीयत का निष्पादन साबित नहीं हुआ है। विवादित फैसले को अपास्त किया जाता है। [पैरा 10,12-13,16 और 17] [1507-ई-एफ; 1509 डी; 1510-ए-बी; 1513-बी-डी]

जॉनकी नारायण भोइर बनाम नारायण नामदेव कदम, **2003(2) एससीसी '91;** बेंगा बेहरा और अन्य, वी. ब्रज किशोर नंदा और अन्य **2007 (7) स्केल 228 और अनिल कोक बनाम कुमारी शारदा राजे और अन्य (2008) 6 स्केल 597**, पर भरोसा किया गया।

जॉयस प्रिमरोज़ प्रेस्टर (श्रीमती) (नी वास) बनाम वेरा मैरी वास (सुश्री) और अन्य **(1996) 9 एससीसी 324, संदर्भित। पृष्ठ 81-82** पर मंथा राममूर्ति द्वारा लिखित भारत और पाकिस्तान में वसीयत के नियम ', का **उल्लेख किया गया।**

मामला कानून संदर्भ

2003(2) एस. सी. सी 91 भरोसा किया गया है पैरा 5

2007(7) स्केल 28 भरोसा किया गया है पैरा 6

(1996) 9 एससीसी 324 संदर्भित किया गया है पैरा 14

(2003) 8 एससीसी 537 अप्रयोज्य रखा गया पैरा 15

(2008)6 स्केल 597 भरोसा किया गया पैरा 16

2008(7) स्केल 743 भरोसा किया गया है पैरा 16

(2007) 7 एससीसी 225 भरोसा किया गया है पैरा 16

(2006) 13 एससीसी 249 भरोसा किया गया है पैरा 16

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील सं. 7434/2008

गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के प्रथम अपील संख्या 110/2000, 124/2000 के साथ अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 26.6.2006 से।

जय सावला, मीनाक्षी ओग्रा और अरुंधति दास- अपीलार्थी।

आदर्श प्रियदर्शी और सुमिता हजारिको-प्रत्यर्थीगण।

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया।

एसे. बी. सिन्हा, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद द्वारा 2000 के एफए संख्या 110/2000 एवं एफए संख्या 124/2000 में पारित फैसले और आदेश दिनांक 26.6.2006 के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें एक सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 23.2.2000 के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया गया है। विद्वान सिविल न्यायाधीश (एसडी) राजकोट ने सिविल विविध आवेदन संख्या 25/1996 की अनुमति दी और सिविल विविध आवेदन 26/2006 को खारिज कर दिया।

3. एक पुरूषोत्तम मांजी ठकरार संपत्ति के मालिक थे। कथित तौर पर उसने उत्तरदाताओं के पक्ष में दिनांक 15.4.1978 को एक वसीयत निष्पादित की थी। वह अपने पीछे अपने दो बेटे (जमनादास और

जयंतीलाल) और दो बेटियां (कस्तूरबेन और ललिता-यहां अपीलकर्ता) छोड़ गए हैं।

पुरषोत्तम मांजी ठकरार का निधन 30.11.1984 को हुआ। उसकी पत्नी की मृत्यु उससे पहले हो चुकी थी। जमनादास अपनी पत्नी, जसुमति (प्रतिवादी संख्या 3) और दो बेटियों, प्रज्ञा और बीना (क्रमशः प्रतिवादी संख्या 1 और 2) को छोड़कर मर गए। जयंतीलाल निःसंतान मर गये। वह तलाकशुदा था। कथित तौर पर उन्होंने दो वसीयतें निष्पादित कीं; एक अपीलार्थी द्वारा दिनांक 31.1.1995 को प्रतिपादित और दूसरी दिनांक 18.6.1995 को उत्तरदाताओं द्वारा प्रतिपादित। दिनांक 19.12.1995 को कस्तूरबेन की मृत्यु हो गई।

4. उत्तरदाताओं ने दिनांक 18.6.1995 को वसीयत को प्रोबेट देने के लिए एक आवेदन दायर किया। दूसरी ओर, अपीलकर्ता ने वसीयत दिनांक 31.1.1995 के संबंध में प्रोबेट देने के लिए एक आवेदन दायर किया।

विद्वान जिला न्यायाधीश ने प्रतिवादियों द्वारा प्रतिपादित वसीयत दिनांक 18.6.1995 के संबंध में प्रोबेट प्रदान कर दी और जयंतीलाल द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 31.1.1995 के संबंध में प्रोबेट देने के आवेदन को खारिज कर दिया।

5. उसके विरुद्ध दो अपीलें की गईं। आक्षेपित निर्णय के आधार पर, उच्च न्यायालय ने उक्त अपीलों को खारिज कर दिया।

हालाँकि उपरोक्त सभी तीन वसीयतें, यानी, एक दिनांक 15.4.1978 को, जिसे पुरषोत्तम मंजी ठकरार ने उत्तरदाताओं के पक्ष में निष्पादित किया था, साथ ही जयंतीलाल द्वारा दिनांक 31.1.1995 और 18.6.1995 को निष्पादित की गई दो वसीयतें, प्रश्न में थीं, इस न्यायालय ने एक आदेश दिनांक द्वारा दिनांक 2.11.2006 को एक सीमित नोटिस जारी कर निर्देश दिया:

> ''इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर **जॉनकी नारायण भोईर बनाम.नारायण नामदेव कदम,,** केवल इस प्रश्न पर नोटिस जारी करें कि क्या दिनांक 18.6.1995 की वसीयत कानूनी रूप से साबित हुई थी। ''

6. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री जय सावला प्रस्तुत करेंगे कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 (सी) में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक वसीयत को दो या अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है और इसके अलावा, हालांकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के संदर्भ में एक गवाह की जांच करने की अनुमति है, जिसे वसीयत के वैध निष्पादन और सत्यापन को साबित करने के लिए गवाही देनी होगी, यानी, दोनों गवाहों ने वसीयतकर्ता या वसीयतकर्ता की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं उसने या तो एक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं या दूसरे के समक्ष अपने हस्ताक्षर स्वीकार

किए हैं। यह तर्क दिया गया कि चूंकि इस मामले में, उक्त कानूनी आवश्यकताओं को अनुपालन नहीं किया गया था, इसलिए विचाराधीन वसीयत को साबित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में जॉनकी नारायण भोईर (सुप्रा) औरबेंगा बेहरा और अन्य बनाम ब्रज किशोर नंदा और अन्य 2007 (7) स्केल 228 पर निर्भरता रखी गई है।

यह आग्रह किया गया था कि वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत के निष्पादन के आसपास बड़ी संख्या में संदिग्ध परिस्थितियों को प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट नहीं किए जॉने के कोरण, वसीयत को कानूनी रूप से साबित नहीं किया जा सकता है। विद्वान वकील के अनुसार ये हैं:

> ''प्रतिवादी सं० एक व दो ने दादाजी श्री परषोत्तम कटारिया की वसीयत दिनांक 15-4-1978 के आधार पर 1/3 हिस्से को दावा करते हुए विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया था और उत्तराधिकार के तहत विकल्प में मृतक जयंतीलाल कटारिया के खिलाफ 1/9 हिस्से को दावा किया था। जिसको दावा सं० 119/1989 है।"

वसीयतकर्ता ने अन्य आधारों के अलावा मुकदमे का विरोध किया था और वसीयतकर्ता के लिखित बयान में, यह कहा गया था कि परषोत्तम कटारिया ने वास्तव में आखिरी वसीयत दिनांक 19 नवंबर, 1983 को बनाई

थी। सार्वजनिक सूचना दिनांक 10 जनवरी, 2006 के उत्तर में वसीयत को कोई उल्लेख नहीं है।

उक्त कार्यवाही में, 1 जनवरी, 1996 को मृतक के नाम को हटाने के आवेदन में, उत्तरदाताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि एसे जयंतीलाल कटारिया ने कोई वसीयत निष्पादित नहीं की थी। इसके अलावा, मृतक वसीयतकर्ता द्वारा किरायेदार के खिलाफ बेदखली के लिए दायर की गई कार्यवाही में पक्षकार बनने के लिए 4 मार्च, 1996 को एक आवेदन दायर किया गया था, यह दोहराया गया था कि जयंतीलाल कटारिया ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी।

मुख्य परीक्षा में, 8 जुलाई 1996 को दायर धारा 276 के तहत प्रोबेट के लिए याचिको में पिछली कार्यवाही में दिए गए बयान के बारे में इस आशय को कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु बिना वसीयत किए हो गई थी।

कथित वसीयत के द्वारा, पूरी संपत्ति उन उत्तरदाताओं को दे दी गई है जो याचिकाकर्ता, श्रीमती को छोड़कर वर्ग-I के कानूनी उत्तराधिकोरी नहीं हैं, ललिताबेन पोपट मृतक राजकोट को निवासी है जबकि उत्तरदाता मुंबई में रहते थे। याचिकाकर्ता छोटी बहन होने के कोरण मृतक की देखभाल कर रही थी और संबंध बहुत मधुर थे।

यह तर्क दिया गया कि जिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय भी इससे निपटने में विफल रहे और/या उपेक्षा करने के कोरण, आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इस संबंध में **राम पियारी बनाम. भगवंत और अन्य** [(1990) 1 एस०सी०और० 813] **श्रीमती गुरा बनाम आत्मा सिंह और अन्य,** [(1992) 2 एस०सी०और० 30], **रमाबाईपद्माकर पाटिल (मृतक) एलऔर के माध्यम से बनाम रूक्मिणीबाइ सेबनाम विष्णु वेखंडे और अन्य** [(2003) 8 एससीसी 537], **वेंकटमुनि बनाम अयोध्या राम सिंह और अन्य,** [(2006) 11 स्केल 148]

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री आदर्श प्रियदर्शी ने तर्क दियेः-

(ए) वसीयत को दो प्रमाणित गवाहों द्वारा साबित किया जाना कानून की आवश्यकता नहीं है।

(बी) वसीयत की वास्तविकता को पता लगाने में, एकमात्र आवश्यकता यह है कि न्यायालय को अपने विवेक को संतुष्ट करना चाहिए और चूंकि इस मामले में सभी अदालतें तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष पर पहुंची हैं, इसलिए इस न्यायालय को भारत के संविधान का अनुच्छेद 136 के तहत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

(सी) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 (सी) वसीयत के निष्पादन के प्रत्यक्ष प्रमाण की परिकल्पना नहीं करती है।

8. वैध वसीयत के प्रमाण के संबंध में कानून अब अच्छी तरह से व्यवस्थित हो गया है।

इसे न केवल निष्पादक के हस्ताक्षर साबित करके साबित करना होगा बल्कि इसे किसी भी संदिग्ध परिस्थिति से मुक्त पाया जाना चाहिए। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63(सी) इस प्रकार है:

> ''धारा 63.--विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत का निष्पादन--
>
> प्रत्येक वसीयतकर्ता, जो किसी अभियान में नियोजित सैनिक नहीं है या वास्तविक युद्ध में लगा हुआ नहीं है, 1 [या इस प्रकार नियोजित या नियुक्त किया गया कोई वायुसैनिक] या समुद्र में नाविक नहीं है, अपनी वसीयत को तदनुसार निम्नलिखित नियमों के तहत निष्पादित करेगा।
>
> (ए) और (बी)...
>
> (सी) वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर करते देखा है या वसीयत पर अपना निशान लगाया है या किसी अन्य व्यक्ति को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देश पर वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा है, या वसीयतकर्ता से उसके हस्ताक्षर या चिह्न, या एसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत पावती प्राप्त

की है; और प्रत्येक गवाह वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं होगा कि एक ही समय में एक से अधिक गवाह उपस्थित हों, और सत्यापन को कोई विशेष रूप आवश्यक नहीं होगा।

''

9. निर्विवाद रूप से, उक्त प्रावधान अनिवार्य प्रकृति को है। वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 में प्रावधान है कि प्रस्तावक को कम से कम एक गवाह की जांच करके वसीयत के निष्पादन और सत्यापन को साबित करना होगा।

'सत्यापन' शब्द को क्या अर्थ है, इसे संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

धारा 3 व्याख्या खंड इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ प्रतिकूल न हो,-

किसी उपकरण के संबंध में "प्रमाणित" को अर्थ हमेशा दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया गया माना जाएगा, जिनमें से प्रत्येक ने निष्पादक को हस्ताक्षर करते देखा है या उपकरण पर अपना चिह्न लगाया है, या किसी अन्य व्यक्ति को उपकरण पर हस्ताक्षर करते देखा है। निष्पादक की उपस्थिति में और उसके निर्देश से, या निष्पादक से उसके

हस्ताक्षर या चिह्न, या एसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत पावती प्राप्त की है, और जिनमें से प्रत्येक ने निष्पादक की उपस्थिति में उपकरण पर हस्ताक्षर किए हैं; लेकिन यह आवश्यक नहीं होगा कि एसे एक से अधिक गवाह एक ही समय में उपस्थित रहे हों, और किसी विशेष प्रकार के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।

10. निर्विवाद रूप से, विचाराधीन वसीयत को प्रदर्श 44 के रूप में चिह्नित किया गया था। इसमें गुजराती भाषा में एक मावाजी विराजी और अंग्रेजी में एक रणजीत सिंह के हस्ताक्षर हैं। वसीयत के क्रियान्वयन को साबित करने के लिए उत्तरदाताओं ने अकेले रणजीत सिंह से पूछताछ की। वह राजकोट जिले के गोंडल में राज्य के कृषि विभाग में कोर्यरत थे। वसीयत के निष्पादन की तिथि पर, वह अपने कोर्यस्थल पर था। वसीयतकर्ता जेतपुर को रहने वाला था वसीयत को जेतपुर में निष्पादित किया गया था। माना जाता है कि वसीयत को सत्यापन जेतपुर में ही हुआ था।

रणजीत सिंह ने अपने बयान में कहा:

> ''मैं जन्यातिलाल पुरषोत्तम कटारिया को जॉनता हूं। मैं पुरूषोत्तम मनाजी कटारिया और जमनदास पुरूषोत्तम कटारिया को भी जॉनता हूं। जमनादास और जयंतीलाल, पुरषोत्तम मजाजी के बेटे हैं। पिछले कई वर्षों से पूरे परिवार

से मेरा रिश्ता है अगर कोई सदस्य बीमार होता तो मैं हालचाल पूछने जाता था।

उक्त वसीयत मार्क 42/1 जयंतीलाल पुरूषोत्तम कटारिया द्वारा निष्पादित मूल वसीयत है। मूल वसीयत दस रुपये के स्टांप पेपर पर निष्पादित की जाती है। स्टाम्प पेपर पर क्रेता के रूप में जयंतीलाल पुरूषोत्तम का नाम है। मुझे वसीयत में जयंतीलाल पुरषोत्तम के हस्ताक्षर दिखाए गए हैं। मैं पहचान गया कि यह हस्ताक्षर जयंतीलाल पुरूषोत्तम के ही हैं। यह हस्ताक्षर मेरी उपस्थिति में किये गये हैं, वसीयत दिनांक 18.5.95 में दो गवाहों के हस्ताक्षर भी हैं। उनमें से एक हस्ताक्षर मावनजीभाई विरजीभाई का है और दूसरा मेरा यानी रणजीत सिंह को है मैंने उक्त वसीयत प्रस्तुत की जो प्रदर्श-44 के रूप में प्रस्तुत की गई है।

जयंतीलाल ने मुझे वसीयत के समय बुलाया था, जो चल-अचल संपत्ति की है। इस वसीयत के निष्पादन के समय, जयंतीभाई सचेत और अच्छी स्थिति में थे। यह वसीयत उन्होंने अपनी इच्छा से की थी, किसी के दबाव में नहीं। ''

जिरह में उन्होंने कहा:

''मैं गोंडल में सरकारी नौकरी करता हूं मैं कृषि विभाग में अपनी सेवा देता हूं। मैं पिछले 4 साल से गोंडल में हूं। दिनांक 9.5.1996 को मैं गोंडल में था। यह सत्य नहीं है कि मेरे हस्ताक्षर गोंडल में प्राप्त किये गये हैं। जब मैं जेतपुर गया तो मैंने जेतपुर में वसीयत पर हस्ताक्षर किये हैं। उस दिन मैं छुट्टी की रिपोर्ट लगाकर जेतपुर गया था। मुझे जेतपुर बुलाया गया। पहले मुझे सूचित किया गया था इसलिए मैं वसीयत के निष्पादन के सप्ताह से पहले गया था। मुझे सूचित किया गया था। मैं सीधा जयंतीभाई के पास गया। यह सच है कि मैंने जिस वसीयत पर हस्ताक्षर किये थे, उसमें यह मूल वसीयत पहले से ही तैयार थी। जब मैंने हस्ताक्षर किये तो जयंतीभाई ने भी मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये थे। उस समय वहां हम दो और एक बूढा आदमी था, जिसे मैं शक्ल से जॉनता हूं। बाकी मुझे नहीं पता। ''

11. वसीयत गुजराती में थी। जो कि टाइपशुदा थी। वसीयत किसने लिखी यह ज्ञात नहीं है। इसे किसने टाइप किया यह भी पता नहीं है। गवाहों के कॉलम के क्रम संख्या 2 पर रणजीत सिंह के हस्ताक्षर हैं। वसीयत को पैराग्राफ 8 एक रोचक पाठन प्रस्तुत करता है, जिसे यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

''जेतपुर में मेरे विश्वसनीय वैष्णव मित्र मावाजी विरजाभाई जिनको समर्थन मुझे अपने धार्मिक जीवन में मिला है, मैंने उन पर भरोसा किया है। इसलिए गवाह के तौर पर उनके हस्ताक्षर हो चुके हैं और उन्हें यह देखना होगा कि मेरे उत्तराधिकोरियों को वसीयत के मुताबिक मेरी संपत्ति मिल सके। ''

यह वसीयत या 'वसीहत नामा' मेरी आखिरी वसीयत है और मैंने इसके अलावा कोई वसीयत या 'वसीहत नामा' निष्पादित नहीं किया है। यदि ऐसा है तो इसे निरस्त माना जायेगा। इस प्रकार यदि मेरा जीवन पूर्ण हो जाये तो यह अंतिम वसीयत मानी जायेगी।

"मैंने इस वसीयत या वसीहत नामा को अपनी खुशी से, जीवन को स्थायी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, समझकर और सोच-समझकर, अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार निष्पादित किया है और मैंने दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किए हैं। इसके लिए मैंने इसके तहत हस्ताक्षर किए हैं और दोनों गवाहों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं। ''

12. वसीयत के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त मावाजीभाई विराजीभाई को वसीयत को निष्पादक बनाया गया था। हालाँकि, वसीयत रणजीत सिंह की कस्टडी से पेश की गई है। यह वसीयत उनकी हिरासत में

कैसे आया, यह नहीं बताया गया है। यह कथन कि कोई अन्य वसीयत निष्पादित नहीं की गई थी, ऐसा प्रतीत होता है मानो निष्पादक इसके बारे में निश्चित नहीं था। माना जाता है कि वसीयत दोनों गवाहों की उपस्थिति में निष्पादित की गई थी। वसीयतकर्ता द्वारा एक घोषणा की जाती है कि उसने दोनों गवाहों से पहले हस्ताक्षर किए थे और उसके सामने ही दोनों गवाहों ने अपने हस्ताक्षर किए थे।

रणजीत सिंह ऐसा नहीं कहते। वह वसीयतकर्ता के साथ अकेला था। उनके अनुसार, वसीयतकर्ता ने पहले ही अपने हस्ताक्षर कर दिये थे। उक्त वसीयत के वसीयतकर्ता जयंतीलाल ने उनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये थे। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उस समय मवाजीभाई विराजीभाई ने वसीयत पर प्रमाणित गवाह के रूप में अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे। फिर भी उसको नाम क्रमांक 1 पर अंकित है। उक्त गवाह के अनुसार केवल एक बूढा व्यक्ति उस समय उपस्थित था जब वसीयतकर्ता ने वसीयत निष्पादित की। वह बूढा कौन था यह पता नहीं चल पाया है। निश्चित रूप से वह मावाजीभाई विराजीभाई नहीं हैं।

इसलिए, यह साबित नहीं हुआ है कि प्रमाणित करने वाले दोनों गवाहों ने या तो एक-दूसरे की उपस्थिति में वसीयत को प्रमाणित किया था या वसीयतकर्ता ने अन्य गवाहों की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए थे।

13. हालाँकि, विद्वान वकील ने प्रति शपथ पत्र में दिए गए बयान पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि उक्त मावाजीभाई विराजीभाई की मृत्यु दिनांक 2.5.1996 को हो गई थी। हालाँकि, यह बहुत निष्पक्ष रूप से कहा गया था कि उक्त तथ्य को निचली अदालतों के समक्ष रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था। इसलिए, हम पहली बार हमारे सामने उठाए गए उक्त विवाद को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं।

14. श्री प्रियदर्शी ने हमारा ध्यान इस न्यायालय के एक निर्णय **जॉयस प्रिमरोज़ प्रेस्टोर बनाम वेरा मैरी वास और अन्य,.,**[(1996) 9 एससीसी 324], की ओर आकर्षित किया है। उस स्थिति में, वसीयत एक 'होलोग्राफ वसीयत' थी। वसीयत करने वाले को लेख सिद्ध हुआ।

इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या वसीयत संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हुई थी।

इस न्यायालय ने मंथा राममूर्ति द्वारा लिखित 'भारत और पाकिस्तान में वसीयत के कानून' पृष्ठ 81-82 के एक अंश पर ध्यान दिया, जो इस प्रकार है:

> ‘’यदि कोई वसीयत प्रथम दृष्टया अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार विधिवत निष्पादित और सत्यापित प्रतीत होती है, तो कहावत "ओम्नी ए प्रो सुमुंतुर राइट एस एक्टा" लागू होती है, जब तक कि प्रमाणित

गवाहों द्वारा यह स्पष्ट रूप से साबित न हो जाए कि वसीयत वास्तव में विधिवत निष्पादित नहीं की गई है। प्रोबेट न्यायालय लंबे समय से उत्पादित वसीयतनामा पेपर की नियमितता से उत्पन्न होने वाले उचित निष्पादन की धारणा को बहुत अधिक महत्व देने को आदी रहा है, जहां धोखाधड़ी को कोई संदेह नहीं हुआ है।

कहावत "ओम्नी ए प्रो सुमंतुर राइट एस एक्टा" संक्षिप्त रूप में एक अभिव्यक्ति है, एक उचित संभावना की, और ऐसी संभावना पर कोर्य करने पर कानून के बिंदु में औचित्य की। यह कहावत एक निष्कर्ष व्यक्त करती है जो उचित रूप से तब निकाला जा सकता है जब कोई औपचारिक कोर्य करने को इरादा स्थापित हो। ब्लेक बनाम नाइट सर हर्बर्ट जेनर फस्टी ने कहा कि क्या हस्ताक्षरित गवाहों द्वारा सकोरात्मक गवाही देना नितांत आवश्यक है कि वसीयत वास्तव में उनकी उपस्थिति में हस्ताक्षरित की गई थी, या वास्तव में उनकी उपस्थिति में स्वीकार की गई थी? क्या सभी परिस्थितियों में यह नितांत आवश्यक है कि गवाह यह कहने में सहमत हों कि ये कृत्य हुए थे? या क्या यह नितांत आवश्यक है, जहां गवाह सकोरात्मक शपथ नहीं लेंगे, कि न्यायालय वसीयत की वैधता के विरुद्ध फैसला

सुनाए। मेरा मानना है कि ये वसीयत की वैधता के लिए पूर्ण आवश्यकताएं नहीं हैं।

नतीजतन, "जहां गवाहों को प्रमाणित करने को साक्ष्य अस्पष्ट या संदिग्ध है या यहां तक कि विरोधाभासी है, न्यायालय मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकती है और उनसे सामूहिक रूप से निर्णय ले सकती है कि क्या कानून की आवश्यकताओं को अनुपालन किया गया था; दूसरे शब्दों में, न्यायालय, पर अन्य साक्ष्यों या मामले की संपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि उनको स्मरण दोषपूर्ण है, कि उनके साक्ष्य संदिग्ध चरित्र के हैं, या कि वे जॉनबूझकर न्यायालय को गुमराह कर रहे थे, और तदनुसार वसीयत के पक्ष में उनकी गवाही की उपेक्षा करें और फैसला सुनाएँ।''

(जोर दिया गया)

इस न्यायालय ने माना कि 'होलोग्राफ वसीयत' के मामले में अनुमान की एक बड़ी डिग्री उत्पन्न होती है। वसीयत के लेखन और वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर को स्वीकार किए जॉने के बाद उक्त निष्कर्ष पर पहुंचा गया था; प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के अनुसार उचित और उचित सत्यापन भी

था। इस न्यायालय ने माना कि उपकरण पर कोई भी संदिग्ध परिस्थितियाँ दिखाई नहीं दीं और इसे मध्यम और तर्कसंगत पाया गया।

कोई वसीयत संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी है या नहीं, यह मूलतः तथ्य को प्रश्न है।

हमने यहां पहले देखा है कि तत्कोल मामले में बड़ी संख्या में संदिग्ध परिस्थितियां थीं। हमने यह भी बताया है कि वसीयत में संदिग्ध परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं।

रणजीत सिंह के साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए संदिग्ध परिस्थितियों को निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

यहां तक कि वसीयत के सबूत के लिए वैधानिक आवश्यकताओं को भी अनुपालन नहीं किया गया है। यह एक घिसा-पिटा कानून है कि वसीयत को निष्पादन न केवल तब साबित हुआ माना जाना चाहिए जब वसीयत को साबित करने के लिए वैधानिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, बल्कि वसीयत को आम तौर पर संदिग्ध परिस्थितियों से मुक्त भी पाया जाए। जब एसे साक्ष्यों को रिकॉर्ड पर लाया जाता है, तो न्यायालय अनुमानित साक्ष्यों की भी सहायता ले सकता है।

15. श्री प्रियदर्शी द्वारा इस न्यायालय के एक निर्णय**रमाबाई पद्माकर पाटिल (मृतक) एलआर के माध्यम से और अन्य बनाम रुक्मिणीबाई**

विष्णु वेखंडे और अन्य [(2003) 8 एससीसी 537], पर भरोसा दिलाया। उस मामले में ही, इस न्यायालय ने कहा:

> ''इससे पहले कि हम पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों पर ध्यान दें, वसीयत की स्वीकृति और प्रमाण के संबंध में कानूनी स्थिति पर संक्षेप में ध्यान देना उपयोगी होगा। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 विशेषाधिकार रहित वसीयत के निष्पादन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि वसीयतकर्ता वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा या अपना निशान लगाएगा या उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। इसमें आगे कहा गया है कि वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देश पर वसीयत पर हस्ताक्षर करते या अपना निशान लगाते देखा है या किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत पर हस्ताक्षर करते हुए देखा है। वसीयतकर्ता और प्रत्येक गवाह वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 वसीयत के सबूत के तौर पर एक गवाह की जांच अनिवार्य करती है, चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं।''

इसके अलावा यह निर्धारित किया गया था:

"**पीपीके गोपालन नांबियार बनाम पीपीके बालकृष्णन नांबियार और अन्य मामले में** यह माना गया है कि वसीयत के प्रस्तावक को कर्तव्य है कि वह सभी संदिग्ध विशेषताओं को हटा दे, लेकिन इसमें वास्तविक और वैध संदिग्ध विशेषताएं होनी चाहिए, न कि संदेह करने वाले मन की कल्पना।''

इसलिए, उक्त निर्णय से हमें कोई सहायता नहीं मिलती है।

16. इस प्रकार, विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि क्या वसीयत को निष्पादन सिद्ध हो गया है। हमारी राय में, ऐसा नहीं हुआ है।

वसीयत साबित करने की आवश्यकताएं बड़ी संख्या में निर्णयों में निर्धारित की गई हैं। हालाँकि, हम उनमें से केवल कुछ को ही उल्लेख करेंगे।

जॉनकी नारायण भोईर (सुप्रा) में, प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा:

''8. यह कहने के लिए कि वसीयत को विधिवत निष्पादित किया गया है, उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के खंड (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित आवश्यकता को अनुपालन किया जाना है, यानी (ए) वसीयतकर्ता को

हस्ताक्षर करना होगा या उस पर हस्ताक्षर करना होगा। वसीयत पर निशान लगाएं, या उस पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देश पर हस्ताक्षर किए जाएं; (बी) कि वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या चिह्न, या उसके निर्देश पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, एक एसे स्थान पर प्रदर्शित होने चाहिए जिससे यह प्रतीत हो सके कि उस चिह्न या हस्ताक्षर से दस्तावेज़ वसीयत के रूप में प्रभावी होने को इरादा रखता है। (सी) सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसके साथ हम वर्तमान में इस अपील में चिंतित हैं, वह यह है कि वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए और इनमें से प्रत्येक गवाह ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या अपना निशान लगाते हुए देखा होगा, या किसी अन्य व्यक्ति को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देश पर वसीयत पर हस्ताक्षर करते हुए देखा होगा, या वसीयतकर्ता से हस्ताक्षर या चिह्न, या एसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत पावती प्राप्त की होगी, और प्रत्येक गवाह के पास है वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करना होगा।"

9. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वसीयत के उचित निष्पादन की आवश्यकताओं में से एक, दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा इसका सत्यापन है जो अनिवार्य है।

10. साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 में कहा गया है कि अब कानून द्वारा सत्यापित किए जॉने वाले दस्तावेज़ को साबित किया जा सकता है। उक्त धारा के अनुसार, कानून द्वारा प्रमाणित किए जॉने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ को साक्ष्य के रूप में तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक प्रमाणित गवाह को इसके निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से नहीं बुलाया गया हो, यदि कोई प्रमाणित गवाह जीवित हो, और साक्ष्य देने में सक्षम हो और न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन हो। इस धारा से यह पता चलता है कि यदि साक्ष्य देने वाला कोई जीवित गवाह है जो साक्ष्य देने में सक्षम है और न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन है, तो साक्ष्य में कानून द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ को उपयोग करने से पहले उसकी जांच की जानी चाहिए। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 को साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि वसीयत पेश करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि वसीयत विधिवत और वैध रूप से

निष्पादित की गई थी। ऐसा केवल यह साबित करके नहीं किया जा सकता कि वसीयत पर हस्ताक्षर वसीयतकर्ता के थे, बल्कि यह भी साबित करना होगा कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के खंड (सी) के अनुसार सत्यापन भी ठीक से किया गया था। यह सच है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 यह नहीं कहती है कि प्रमाणित करने वाले दोनों या सभी गवाहों की जांच की जानी चाहिए। लेकिन धारा 63 में उल्लिखित वसीयत के उचित निष्पादन को साबित करने के लिए कम से कम एक प्रमाणित गवाह को बुलाया जाना चाहिए। हालांकि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के लिए आवश्यक है कि वसीयत को कम से कम दो गवाहों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 यह प्रावधान करता है कि एक दस्तावेज, जिसे प्रमाणित करना कानून द्वारा आवश्यक है, को साक्ष्य के रूप में तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रमाणित करने वाले एक गवाह की कम से कम उसके उचित निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से जांच न कर ली गई हो, यदि ऐसा गवाह जीवित है और साक्ष्य देने में सक्षम है और न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन है। एक तरह से, धारा 68 उन लोगों को रियायत देती है जो

वसीयत को न्यायालय में साबित करना और स्थापित करना चाहते है। कम से कम एक प्रमाणित गवाह की जांच करना, भले ही उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत वसीयत को अनिवार्य रूप से कम से कम दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य है वह यह है कि जांच किया गया एक प्रमाणित गवाह वसीयत के निष्पादन को साबित करने की स्थिति में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो, यदि एक प्रमाणित गवाह धारा 63 के खंड (सी) के संदर्भ में वसीयत के निष्पादन को साबित कर सकता है, अर्थात, दो प्रमाणित गवाहों द्वारा उसमें बताए गए तरीके से सत्यापन, तो साथ ही अन्य प्रमाणित गवाह की परीक्षा को रद्द किया जा सकता है परीक्षण करने वाले एक गवाह को अपने साक्ष्य में वसीयत के सत्यापन को संतुष्ट करना होगा और दूसरे गवाह को यह साबित करना होगा कि वसीयत को उचित निष्पादन हुआ था। यदि साक्ष्यांकित करने वाले साक्षी से उसके साक्ष्यांकन के अतिरिक्त परीक्षण नहीं किया जाता है, अन्य गवाहों द्वारा वसीयत पर ध्यान देने की आवश्यकताओं को पूरा करने से भी यह कम से कम दो गवाहों द्वारा वसीयत के सत्यापन से कम हो जाता है क्योंकि वसीयत के

निष्पादन का मतलब केवल वसीयतकर्ता द्वारा उस पर हस्ताक्षर करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब पूरा करना है और उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत आवश्यक सभी औपचारिकताओं को पूरा और साबित करना होगा। जहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत वसीयत को साबित करने के लिए जांच किया गया एक प्रमाणित गवाह वसीयत के उचित निष्पादन को साबित करने में विफल रहता है तो अन्य उपलब्ध प्रमाणित गवाह को अपने साक्ष्य को सभी प्रकार से पूर्ण बनाने के लिए पूरक करने के लिए बुलाया जाना चाहिए। जहां एक प्रमाणित गवाह की जांच की जाती है और वह दूसरे गवाह द्वारा वसीयत के सत्यापन को साबित करने में विफल रहता है तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में कमी होगी। ''

(जोर दिया गया)

उक्त निर्णय के साथ-साथ अन्य निर्णय बेंगा बेहरा (सुप्रा) में इस न्यायालय ने कहा:

''21. अपीलकर्ताओं के लिए यह भी आवश्यक नहीं था कि वे वसीयत की ज़ेरॉक्स प्रति में उनके हस्ताक्षर के साथ

उनको सामना करें, क्योंकि वह प्रमाणित प्रति में दिखाई नहीं दिया था। वसीयत को निष्पादन उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए, जिसके अनुसार वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। इसलिए, वसीयत को निष्पादन केवल धारा 63 के खंड (सी) के संदर्भ में साबित किया जा सकता है, जब दो गवाहों में से कम से कम एक गवाह सत्यापन साबित करता है। एक वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या अपना निशान लगाते हुए देखा है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 वसीयत के निष्पादन के प्रमाण के लिए आवश्यकताओं को प्रावधान करती है। उक्त प्रावधान के संदर्भ में, वसीयत के निष्पादन को साबित करने के लिए कम से कम एक प्रमाणित गवाह की जांच की जानी चाहिए। ”

फिर भी, हाल ही में **अनिल कोक बनाम कुमारी शारदा राजे एवं अन्य** [(2008) 6 स्केल 597], में यह राय थी:

''40. जबकि किसी अन्य दस्तावेज़ के निष्पादन का दस्तावेज़ के लेखन या उसकी सामग्री के साथ-साथ उसके निष्पादन को साबित करके साबित किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में संदिग्ध परिस्थितियाँ मौजूद होने पर पार्टी प्रोबेट और/या प्रशासन पत्र प्राप्त करना चाहती है। संलग्न वसीयत की प्रतिलिपि को वास्तविक मानने से पहले अदालत की संतुष्टि के लिए साक्ष्य भी प्रस्तुत करना होगा।

41. चूंकि प्रोबेट देने को आदेश एक सर्वबंदी निर्णय है, इसलिए अदालत को भी आदेश पारित करने से पहले अपने विवेक को संतुष्ट करना चाहिए।

यह सच हो सकता है कि प्राकृतिक उत्तराधिकोरी द्वारा उचित हिस्से से वंचित होना अपने आप में एक संदिग्ध परिस्थिति नहीं मानी जा सकती है, लेकिन यह उन कोरकों में से एक है जिस पर वसीयत की प्रोबेट देने से पहले अदालतों द्वारा विचार किया जाता है।

अन्य दस्तावेजों के विपरीत, यहां तक कि एनिमस अटेस्टैंडी भी सत्यापन को साबित करने के लिए एक आवश्यक घटक है।

बाबू सिंह एवं अन्य बनाम राम सहाय @ राम सिंह,, [(2008) 7 स्केल 743], यह न्यायालय, अन्य बातों के साथ-साथ,अपोलिन डिसूजा बनाम जॉन डिसूजा [(2007) 7 एससीसी 225], एवं बी. वेंकटमुनि बनाम सीजे अयोध्या राम सिंह और अन्य (2006) 13 एससीसी 249 ,उल्लेख किया है, जिसमें यह माना गया है कि क्या यह प्रश्न कि क्या उचित सत्यापन स्थापित किया गया है या नहीं, प्रत्येक मामले के तथ्य स्थिति पर निर्भर करेगा।"

17. उपरोक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता। इसे तदनुसार अपास्त किया गया है। अपील स्वीकार की जाती है हालाँकि, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

आर.पी. अपील स्वीकृत

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकोरी श्रीमति छवि सिंघल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकोरिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय को अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।